पत्रांक – खा०प्र०–01 / NFSA-CSS / 7–4 / 2023 – 37(आ०)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
सरकार के प्रभारी सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड।

/ राँची, दिनांक – 06/9/24

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित *"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन–परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना"* के कार्यान्वयन के लिए खाद्यान्न के परिवहन कार्य तथा डीलर कमीशन के भुगतान हेतु राज्यांश अन्तर्गत 73,40,83,000.00 रूपये (रूपये तिहत्तर करोड़ चालीस लाख तिरासी हजार मात्र) का आवंटन।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–521 / 11 (स्वी०), दिनांक 07.06.2024।

महाशय,

केन्द्र प्रायोजित *"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन–परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना"* के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश संख्या 521 / 11 (स्वी०), दिनांक 07.06.2024 द्वारा राज्यांश में कुल राशि रू० 1,95,30,00,000.00 (रूपये एक अरब पंचानवे करोड़ तीस लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत JSFC संचलन अनुदान, डोर स्टेप डिलिवरी एवं डीलर कमीशन के भुगतान हेतु रूपये 73,40,83,000.00 रूपये (रूपये तिहत्तर करोड़ चालीस लाख तिरासी हजार मात्र) राज्यांश राशि प्रक्षेत्रवार निम्न प्रकार आवंटित की जाती है, जिसका ऑनलाईन प्रति संलग्न है –

(राशि रूपये में)

प्रक्षेत्र का नाम	डीलर कमीशन के भुगतान हेतु आवंटित राशि (राज्यांश)	JSFC संचलन अनुदान तथा डोर स्टेप डिलिवरी के भुगतान हेतु आवंटित राशि (राज्यांश)	कुल आवंटित राशि (राज्यांश)
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	171943000	136372000	308315000
सिविल पूर्ति योजना	196506000	155854000	352360000
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	40939000	32469000	73408000
कुल	**409388000**	**324695000**	**734083000**

(रूपये तिहत्तर करोड़ चालीस लाख तिरासी हजार मात्र)

3. आवंटित राशि का व्यय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में किया जायेगा एवं प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश में वर्णित दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करते हुए Single Nodal Account (SNA) में राशि संधारित करेंगे।

D:\Mukesh – 2024-25\0. All Plan Allotment & Sanction\3. Transportation & Dealer Margin\S- 2nd_Allot.——State_Share (Trans. Dealer).doc

5. डीलर कमीशन के भुगतान के लिए आवंटित राशि 40,93,88,000/- रूपये (चालीस करोड़ तिरानवे लाख अठासी हजार रूपये मात्र) से जनवितरण प्रणाली दुकानदार को उनके बैंक खाता में डीलर कमीशन का नियमानुसार भुगतान खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा किया जायेगा। डीलर कमीशन के लिए आवंटित राशि की अधिसीमा तक की राशि का व्यय किया जायेगा।

6. JSFC संचलन अनुदान तथा डोर स्टेप डिलिवरी के भुगतान हेतु Implementing Agency (जिला आपूर्ति पदाधिकारी) को निर्धारित अधिसीमा में निम्नवत् राशि की वृद्धि करते हुए नई अधिसीमा का निर्धारण करेंगे :–

Sl No.	District Name	Amount in Rs.
1	Bokaro	15682800
2	Chatra	11137000
3	Deoghar	13702100
4	Dhanbad	22046800
5	Dumka	14189100
6	East Singhbhum	20877900
7	Garhwa	14156800
8	Giridih	25066500
9	Godda	13377500
10	Gumla	9903100
11	Hazaribagh	17858200
12	Jamtara	8474600
13	Khunti	6364000
14	Kodarma	6461500
15	Latehar	8020000
16	Lohardaga	5260000
17	Pakur	9578600
18	Palamu	21949300
19	Ramgarh	7273100
20	Ranchi	25845800
21	Sahibganj	11981200
22	Saraikela-Kharsawan	11039700
23	Simdega	6721100
24	West Singhbhum	17728300
Total:		**324695000**

7. Implementing Agency (जिला आपूर्ति पदाधिकारी) द्वारा निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत नियमानुसार राशि का व्यय किया जायेगा।

8. आवंटित राशि राज्यांश अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट मुख्यशीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/102–सिविल पूर्ति योजना/789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–79–NFSA अन्तर्गत खाद्यान्न का हथालन–परिवहन एवं डीलर मार्जिन–06–अनुदान–52–सबसिडी (विपत्र कोड: राज्यांश 18S34560079679000652/ 18S34560010279000652/18S34560078979000652) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

9. निर्धारित अधिसीमा के तहत व्यय 31.03.2025 तक की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 के समापन के पश्चात् Single Nodal Agency द्वारा सभी कार्यकारी एजेंसी के लिए अधिसीमा शून्य करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

D:\Mukesh - 2024-25\0. All Plan Allotment & Sanction\3. Transportation & Dealer Margin\S- 2nd_Allot.--------State_Share (Trans. Dealer).doc

11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 1800, दिनांक 15.07.2003 में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

13. राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से कराकर उसकी सूचना विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायेगी।

14. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– आवंटन की ऑनलाईन प्रति।

(उमा शंकर सिंह),
सरकार के प्रभारी सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

I

पत्र संख्या - 4/23-S-TRN-DLR2/37 **दिनांक -** 06-Sep-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 18 34560010279000652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 79 - एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यान्न का हृथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन 00-NA 06 - अनुदान **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : HANDLING-TRANSPORTATION OF FOODGRAINS AND DEALERS' MARGIN UNDER NFSA(2093) Centeral Scheme : ASSISTENCE TO STATE AGECIES FOR INTRA-STATE MOVEMENT OF FOODGRAINS AND FPS DEALERS MARGIN UNDER NFSA(4048)	55904	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 52 - सबसिडी	352,360,000.00 रुपये पैतीस करोड तेइस लाख साइठ हजार
2	S 18 34560078979000652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 - एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यान्न का हृथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन 00-NA 06 - अनुदान **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : HANDLING-TRANSPORTATION OF FOODGRAINS AND DEALERS' MARGIN UNDER NFSA(2093) Centeral Scheme : ASSISTENCE TO STATE AGECIES FOR INTRA-STATE MOVEMENT OF FOODGRAINS AND FPS DEALERS MARGIN UNDER NFSA(4048)	55905	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 52 - सबसिडी	73,408,000.00 रुपये सात करोड चौतीस लाख आठ हजार
3	S 18 34560079679000652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 79 - एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यान्न का हृथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन 00-NA 06 - अनुदान **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : HANDLING-TRANSPORTATION OF FOODGRAINS AND DEALERS' MARGIN UNDER NFSA(2093) Centeral Scheme : ASSISTENCE TO STATE AGECIES FOR INTRA-STATE MOVEMENT OF FOODGRAINS AND FPS DEALERS MARGIN UNDER NFSA(4048)	55903	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 52 - सबसिडी	308,315,000.00 रुपये तीस करोड तिरयासी लाख पंद्रह हजार

योग: रुपये तीहत्तर करोड चालीस लाख तिरयासी हजार 734,083,000.00

क्रमिक योग:

06/09/24

(UMA SHANKAR SINGH)
SECRETARY-IN-CHARGE

136.233.39.229

Run Date: 6/9/2024